संख्या- 2/3457/14-2-2014-126 जी/2013

प्रेषक,

पवन कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2014

विषय- अभिवहन शुल्क के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-11-2013 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 11916-35-अभिवहन शुल्क दिनांक 03-12-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभिवहन शुल्क के रूप में वसूल की गयी धनराशि लोक-लेखे में फारेस्ट डिपाजिट में जमा करायी जाय तथा इसका लेखा-जोखा पृथक से रखा जाय, ताकि शासन के विरूद्ध मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किये जाने की स्थिति में सम्बंधितों को धनराशि की वापसी सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(पवन कुमार)
सचिव,

संख्या-3457(1)/14-2-2014- तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार- प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
3- मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- वन अनुभाग-1,3,4,5
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एल0शुक्ला)
अनुसचिव

http://upgovernanadesk.up.nic.in